राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–51 / 2024

सागर पटेल

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र पारीक, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को जो पूर्व में कार्यालय सहायक अभियंता, जल संसाधन उपखण्ड अटरू का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, उसे निरस्त कर उक्त कार्यभार श्री राहुल प्रजापति, सहायक अभियंता, जल संसाधन नहर उपखण्ड, छबडा, बारां को प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समंवय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एपीओ एवं अन्य माध्यम से पदस्थापन नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसे में प्रतिबन्ध अवधि के दौरान आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को एपीओ नहीं किया गया है, न ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपितु अपीलार्थी के पास अपने कार्यभार के अलावा जो अतिरिक्त कार्य था, उस अतिरिक्त कार्यभार को अन्य को अन्तरित किया गया है। अतिरिक्त कार्यभार का अन्य को अन्तरित किये जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, केवल स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है। आलोच्य आदेश प्रशासनिक दृष्टि से पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।
5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)